छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

(दिसम्बर, 2026 सत्र)

(दिनांक 14 दिसम्बर, 2026 से 17 दिसम्बर, 2026 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिए विभाग के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, सभा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों की सूचना प्राप्त होने का अंतिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण.

विभाग	प्रभारी मंत्री	सभा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक	
			ऑनलाईन	ऑफलाईन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		वर्ग – 1		
सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री	14 दिसम्बर, 2026	17 नवम्बर, 2026	18 नवम्बर, 2026
खनिज साधन	"			
ऊर्जा	"			
जनसंपर्क	"			
जल संसाधन	"			
विमानन	"			
सुशासन एवं अभिसरण	"			
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	"			
जन शिकायत निवारण	"			
वन एवं जलवायु परिवर्तन	वन मंत्री			
परिवहन	"			
सहकारिता	"			
संसदीय कार्य	"			
वाणिज्य एवं उद्योग	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री			
वाणिज्यिक कर (आबकारी)	"			
श्रम	"			
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	राजस्व मंत्री			
पुनर्वास	"			
उच्च शिक्षा	"			
		वर्ग – 2		
लोक निर्माण	उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण)	15 दिसम्बर, 2026	18 नवम्बर, 2026	19 नवम्बर, 2026
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	"			
नगरीय प्रशासन एवं विकास	"			
खेलकूद एवं युवा कल्याण	"			
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य मंत्री			
महिला एवं बाल विकास	महिला एवं बाल विकास मंत्री			
समाज कल्याण	"			
स्कूल शिक्षा	स्कूल शिक्षा मंत्री			
ग्रामोद्योग	"			
विधि और विधायी कार्य	"			
		वर्ग – 3		
गृह	उप मुख्यमंत्री (गृह)	16 दिसम्बर, 2026	22 नवम्बर, 2026	23 नवम्बर, 2026
जेल	"			
पंचायत एवं ग्रामीण विकास	"			
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	"			
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	लोक स्वास्थ्य मंत्री			
चिकित्सा शिक्षा	"			
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास	"			
कौशल विकास	कौशल विकास मंत्री			
तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार	"			
अनुसूचित जाति विकास	"			

विभाग	प्रभारी मंत्री	सभा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक	
			ऑनलाईन	ऑफलाईन
वर्ग – 4				
आदिम जाति विकास	आदिम जाति विकास मंत्री	17 दिसम्बर, 2026	22 नवम्बर, 2026	23 नवम्बर, 2026
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी	"			
मछली पालन	"			
पशुधन विकास	"			
वित्त	वित्त मंत्री			
वाणिज्यिक कर	"			
आवास एवं पर्यावरण	"			
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन	"			
पर्यटन	पर्यटन मंत्री			
सस्कृति	"			
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	"			

नोट :–

1. विवरण के कालम (3), (4) व (5) में उल्लेखित दिनांक कालम (1) में दिये गये वर्ग के संपूर्ण विभागों हेतु लागू होंगे.
2. प्रश्नों की ऑनलाईन सूचनाएं प्रत्येक बैठक हेतु नियत अंतिम तिथि को रात्रि 12.00 बजे तक ही प्राप्त की जावेंगी तथा ऑफलाईन प्रश्नों की सूचनाएं विधान सभा सचिवालय में राजपत्रित अवकाश को छोड़कर शेष दिन प्रातः 11.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक प्राप्त की जावेंगी.
3. माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्नों की ऑनलाईन सूचनाएं, उनके द्वारा छत्तीसगढ विधान सभा सचिवालय में इस हेतु दिए गए घोषणा–पत्र में दर्शित अधिकृत मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओ.टी.पी. के माध्यम से लॉगिन करते हुए प्रस्तुत की जा सकेंगी। ऑनलाईन प्रस्तुत ऐसी "ई–प्रश्न की सूचनाएं" संबंधित माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत मानी जाएगी.
4. ऑफलाईन प्रश्न की सूचना माननीय सदस्यों को उन्हें छत्तीसगढ विधान सभा सचिवालय द्वारा षष्ठम् विधान सभा में विगत/वर्तमान सत्र में प्रदाय किए गए तारांकित/अतारांकित प्रश्नों के मूल प्रपत्र पर ही मान्य की जावेगी.
5. नियम 31 के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में किसी भी नियत बैठक हेतु प्राप्त प्रथम 4 (चार) प्रश्नों की सूचनाओं के पश्चात् अतिरिक्त संख्या में प्राप्त होने वाले प्रश्नों की सूचनाओं तथा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाली सूचनाओं के संबध में यह माना जावेगा कि वे सूचनाएं प्राप्त ही नहीं हुईं.
6. ई–मेल/फैक्स से प्राप्त सूचनाएं संज्ञान में नहीं ली जाएंगी.
7. अग्राह्य प्रश्नों की सूचना केवल ऑनलाईन ही प्रेषित की जावेगी ।

नवा रायपुर, दिनांक : 12 नवम्बर, 2026

हस्ता./–
दिनेश शर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ विधानसभा

पृ.क्र. 13873/वि.स./प्रश्न/2026

नवा रायपुर, दिनांक : 12 नवम्बर, 2026

प्रतिलिपि :–

1. समस्त माननीय सदस्य, छत्तीसगढ विधान सभा.

दिनेश शर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ विधानसभा